(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 19 / 2024 **जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 44**

1. अक्षत पटवारी पुत्र स्व0 शंकर पटवारी उम्र 35 वर्ष जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027
2. उर्मिला पटवारी पत्नि शंकर पटवारी उम्र 55 साल जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027

......................वादीगण

बनाम

1. महेश पटवारी पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र 56 साल जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027
2. शिवरतन पटवारी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद उम्र 75 वर्ष जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027
3. फूल देवी पत्नि प्रेमकुमार उम्र...... वर्ष महेश पटवारी पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र 56 साल जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027?
4. अनुभव पटवारी पुत्र स्व0 प्रेमकुमार पटवारी वर्ष जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027
5. अभिषेक पटवारी पुत्र प्रेमकुमार उम्र...... वर्ष जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027
6. अंकुर पटवारी पुत्र सज्जन पटवारी उम्र 36 वर्ष जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

7. दीपा पटवारी पत्नि सज्जन कुमार उम्र 35 वर्ष जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027
8. वासुदेव पुत्र श्री रामवतार जाति महाजन निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 ई अलीपुर रोड पटवारी हाऊस दुर्गापुर पुल के पास कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 700027
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0.

..............प्रतिवादीगण

दावा बाबत:– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:– **दिनांक:–**

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 64 के हाल ख.न. 301/85 रकबा 0.54 है0 ख.न. 346/75 रकबा 0.64 है0, ख.न. 89 रकबा 0.53 है0, ख.न. 91 रकबा 0.11 है0, ख.न. 93 रकबा 0.20 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.02 है0 में वादीगण के पिता शंकर तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वयं तथा प्रतिवादी सं. 3 लगायत 5 के पति/पिता प्रेमप्रकाश, तथा प्रतिवादी सं. 6 के पिता व 7 के पति सज्जनकुमार, तथा प्रतिवादी स. 8 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी का नाम बद्री प्रसाद है जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है।

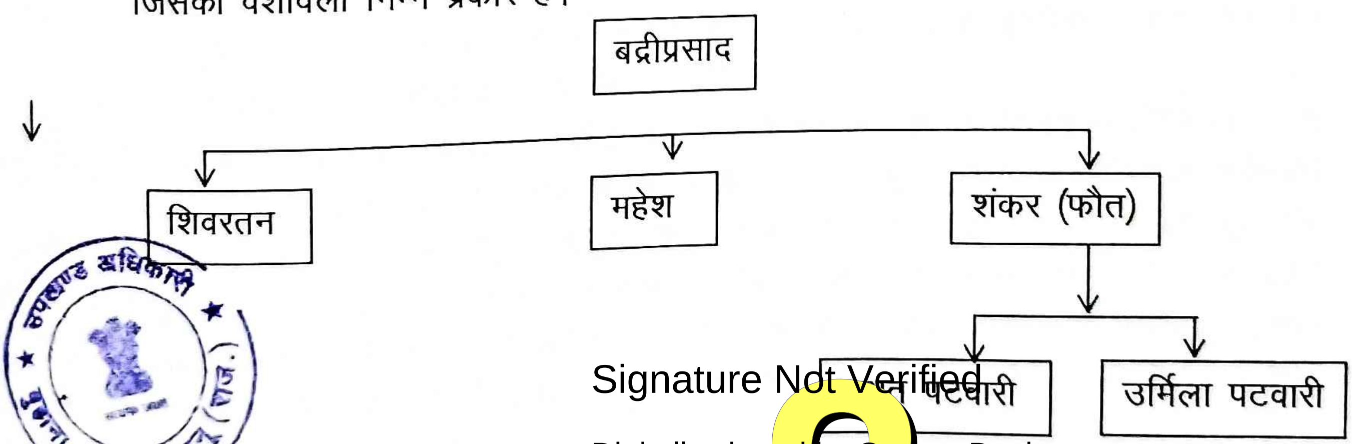

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार इस भूमि में वादी व ... के हकपूर्वाधिकारी का 1/3 हिस्सा हैं जिसमे उसने तीन वारीसान शिवरतन, महेश व शंकर हुये जिसमें प्रत्येक का

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

1/9, 1/9, 1/9, हिस्सा है लेकिन वादी सं. 1 के पिता व 2 के पति शंकर तथा प्रतिवादी सं. 1 महेश का नाम महेश शंकर एक साथ दर्ज कर 1/6 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी तथा प्रतिवादी सं. 2 शिवरतन के नाम से 1/6 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी जबकि महेश व शंकर बद्रीप्रसाद के दो अलग-अलग पुत्र हैं जिनको जमाबन्दी में एक साथ एक ही पुत्र दर्ज कर 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया है जबकि बद्रीप्रसाद के तीन पुत्र हैं इसलिए बद्रीप्रसाद के 1/3 हिस्से में इन तीनों का बराबर-बराबर 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा दर्ज होना चाहिए जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी हैं।

3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण काफी वर्षों से व्यवसाय के लिए बाहर रहते हैं इसलिए रिकॉर्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तथा वादीगण के पिता तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम एक साथ महेश शंकर दर्ज कर उन दोनों के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा बद्रीप्रसाद के तीसरे पुत्र शिवरतन के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि वादीगण का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/9 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था तथा इसी अनुसार खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी हैं तथा वादी सं. 1 का पिता व वादी सं. 2 का पति शंकर का देहान्त हो चुका हैं इसलिए उनके नाम से 1/9 हिस्से की खातेदारी दर्ज किया जाना भी आवश्यक हैं तथा इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा की बजाय 1/9 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना भी न्यायोचित है।

4. यह कि वादीगण इस सप्ताह अपने गांव में आये व अपनी भूमि का रिकार्ड निकलवाया तब वादीगण को उक्त गलत रिकार्ड की जानकारी हुई है कि वादीगण के पिता शंकर व प्रतिवादी सं. 1 महेश को एक साथ दर्ज कर हमारे नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज कर रखा हैं व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज कर रखा है इसलिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि खातेदार प्रेम कुमार भी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी सं. 3 लगायत 5 हैं तथा खातेदार सज्जन कुमार भी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी सं. 6 व 7 है इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया हैं तथा खातेदार प्रेम कुमार व सज्जन कुमार की मृत्यु होने पर इनके वारीसान के नाम से भी खातेदारी दर्ज होना अवश्यक है। प्रतिवादी सं. 3 लगायत 8 इस भूमि के संयुक्त खातेदार हैं इसलिए उनको पक्षकार बनाया जा रहा है इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं उक्त सभी परफोरमा पक्षकार बनाये गये हैं।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम उद[illegible] तहसील [illegible] स्थित होने से उक्त वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

7. यक कि वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत हैं।
8. यह कि प्रतिवादी सं. 9 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार हैं इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है।
9. यह कि वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र संलग्न है तथा वाद पत्र के साथ नवीनतम रिकार्ड पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 64 के हाल ख.न. 301/85 रकबा 0.54 है0 ख.न. 346/75 रकबा 0.64 है0, ख.न. 89 रकबा 0.53 है0, ख.न. 91 रकबा 0.11 है0, ख.न. 93 रकबा 0.20 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.02 है0 में वादीगण को 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 को 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/9 व प्रतिवादी सं. 2 का 1/9 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाकर महेश जो प्रतिवादी सं. 1 है उसका जमाबन्दी में नाम अलग से दर्ज किये जावे तथा वादीगण का नाम अलग से दर्ज किया जाकर खातेदारी दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी सं. 2 के 1/6 हिससे की जगह 1/9 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाने की कृपा करें।

(ख). यह कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण जिसके वाजिब हकदार हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की और से श्री महेंश साखला एडवोकेट द्वारा वकालतनामा जवाबदावा दिनांक 29.05.2024 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी स–3 लगायत 7 की ओर से इकबाली जवाब मय प्रतिदावा निम्न प्रकार सेवामे पेश हैं।

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 2 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 3 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

4. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 4 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 5 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 6 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 7 कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 8 कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 9 कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नहीं है।

प्रतिदावा

1. यह कि ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी जमाबन्दी सम्वत् 2075 – 2078 के हाल खाता स. 64 के हाल ख.न. 301/85 रकबा 0.54 हैक्टर ख. न. 346/75 रकबा 0.64 हेक्टर ख.न. 89 रकबा 0.53 हैक्टर ख.न. 91 रकबा 0.11 हेक्टर ख.न. 93 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.02 हैक्टर में प्रतिदावाकर्ता स. 3 के पति एवं प्रतिदावाकर्ता स. 4 व 5 के पिता प्रेम कुमार पुत्र रामावतार का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिदावाकर्ता स. 6 के पिता व प्रतिदावाकर्ता स. 7 के पति सज्जन कुमार पुत्र प्रभातीलाल हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड हैं।
2. यह कि प्रतिदावा के खण्ड न. 1 में वर्णित भूमी मे प्रतिवादी स. 3 के पति एवं प्रतिवादी स. 4 व 5 के पिता प्रेम कुमार पुत्र रामावतार का देहान्त हो चुका हैं जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी स. 3 लगायत 5 हैं इस प्रकार प्रेमकुमार के 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी स. 3 लगायत 5 के नाम दर्ज करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक हैं इस प्रकार प्रतिवादी स. 3 लगायत 5 का इस भूमी मे 1/18, 1/18, 1/18 हिस्सा हैं तथा इसी प्रकार प्रतिदावाकर्ता स. 6 के पिता एवं प्रतिवादी स. 7 के पति सज्जन कुमार पुत्र प्रभातीलाल हिस्सा 1/3 भी फौत हो चुका हैं जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी स. 6 व 7 हैं। इस प्रकार उनका इस भूमी मे 1/6, 1/6 हिस्सा हैं जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाया जाना न्यायोचित हैं।
3. यह कि प्रतिदावाकर्ता का नाम खातेदारी मे दर्ज नही होने से प्रतिदावाकर्ता सरकार की योजनाओ का लाभ नही ले पा रहे हैं और राजस्व रिकॉर्ड प्रतिदावकर्ताओ ने नाम दर्ज नही होने से प्रतिदावाकर्ताओ को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा।
4. यह कि प्रतिदावा के लिए आधार [illegible] पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रतिदावाकर्ता के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे नही ह[illegible] से [illegible] प्रतिदावा पेश किया जाना आवश्यक हैं।
5. यह कि प्रतिदावा पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

8. यह कि प्रतिदावा द्वितिय प्रति में पेश है एवं प्रतिदावा के समर्थन मे प्रतिदावाकर्ता का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी जमाबन्दी सवत् 2075 2078 के हाल खाता स. 64 के हाल ख.न 301/85 रकबा 0.54 हेक्टर ख. न. 346/75 रकबा 0.64 हैक्टर ख.न. 89 रकबा 0.53 हैक्टर ख.न. 91 रकबा 0.11 हेक्टर ख.न. 93 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.02 हैक्टर मे प्रतिदावाकर्ता स.3 लगायत 5 को प्रत्येक को 1/18, 1/18, 1/18 तथा प्रतिदावाकर्ता स. 6 व 7 को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने कि कृपा करे।

(ख). कि प्रतिदावाकर्ताओ का प्रतिदावा मय अनुतोष डिक्री किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो प्रतिदावाकर्ता जिसके वाजिब हकदार हो प्रतिदावाकर्ताओ को दिलवाया जाने कि कृपा करे।

प्रतिवादी स. 1, 2 व 8 की ओर से इकबाली जवाब निम्न प्रकार सेवामें पेश हैं।

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 2 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 3 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 4 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 5 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 6 जिस भांति हैं स्वीकार हैं।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 7 कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 8 कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 9 कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू

अतः इकबाली जवाब पेश कर निवेदन हैं कि वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर हम सहमत हैं हमें कोई आपत्ति नहीं हैं उक्त वाद पत्र को डिकी किये जाने कि कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। शेष की अनुपस्थित रहने पर

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार निहित है अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मिसल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

" न्यायालय वाद वादी व जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी जमाबन्दी सवत् 2075 2078 के हाल खाता संख्या 64 के हाल खसरा नम्बा 301/85 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 346/75 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.02 हैक्टर में वादीगण को 1/9 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर महेश जो प्रतिवादी संख्या 1 है उसका जमाबन्दी में नाम अलग से दर्ज किये जाकर तथा वादीगण का नाम अलग से दर्ज किया जाकर खातेदारी दर्ज की जाकर तथा प्रतिवादी संख्या 2 के 1/6 हिस्से की जगह 1/9 हिस्सा दर्ज कर एवं प्रतिदावाकर्ता संख्या 3 लगायत 5 को प्रत्येक को 1/18, 1/18, 1/18 तथा प्रतिदावाकर्ता संख्या 6 व 7 को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—
राजस्व वाद सं.— 19/2024

सुमन देवी II, आर.ए.एस.
जीसीएमएस नम्बर :— 2024/44

अक्षत पटवारी बनाम महेश पटवारी आदि

दावा बाबत— घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती

—:निर्णय:—

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से श्री अंकित यादव एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी,** बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादी व जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी जमाबन्दी सवत् 2075 2078 के हाल खाता संख्या 64 के हाल खसरा नम्बा 301/85 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 346/75 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.02 हैक्टर में वादीगण को 1/9 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर महेश जो प्रतिवादी संख्या 1 है उसका जमाबन्दी में नाम अलग से दर्ज किये जाकर तथा वादीगण का नाम अलग से दर्ज किया जाकर खातेदारी दर्ज की जाकर तथा प्रतिवादी संख्या 2 के 1/6 हिस्से की जगह 1/9 हिस्सा दर्ज कर एवं प्रतिदावाकर्ता संख्या 3 लगायत 5 को प्रत्येक को 1/18, 1/18, 1/18 तथा प्रतिदावाकर्ता संख्या 6 व 7 को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17/7/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी जिला झुन्झुनू

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:53 IST
Reason: SelfAttested